भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *213 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

बेपोर और कोल्लम पत्तनों का विकास

† *213. श्री एम. के. राघवन :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के ट्रांशिपमेंट पत्तन के सेटेलाइट/ फीडर पत्तनों के रूप में बेपोर और कोल्लम पत्तनों के विकास के संबंध में केरल सरकार के साथ परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्शों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने विझिंजम पत्तन के लिए फीडर कार्गो, तटीय पोत परिवहन और ट्रांशिपमेंट सहायता के संबंध में बेपोर पत्तन की संभावित भूमिका का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कार्गो की अनुमानित मात्रा कितनी है और इससे क्या आर्थिक लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“बेपोर और कोल्लम पत्तनों का विकास" के संबंध में श्री एम. के. राघवन द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *213 के उत्तर के भाग में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन (ओटीएमपी), संबंधित राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। केरल सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सेटेलाइट/ फीडर पत्तन के रूप में बेपोर और कोल्लम पत्तनों के विकास संबंधी अभी तक कोई भी चर्चा केंद्रीय सरकार और केरल सरकार के बीच नहीं हुई है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पत्तन के द्वितीय चरण के पूरा होने पर बेपोर सहित केरल में ओटीएमपी में तटीय कार्गो आवाजाही में वृद्धि की अपेक्षा है। इस संबंध में कार्गो की अनुमानित मात्रा अथवा संभावित आर्थिक लाभों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष अध्ययन शुरू नहीं किया गया है।

*****